

22/8/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में हुई कार्रवाई आगे पर भी वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं आये। पत्रावली अदम फौजी, अदम टाजरी में ब्याज की जाती है। पत्रावली अदम सुमार डोकव वाह वरती व न्यायालय हाथिल हस्त है।

JK

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
तीकानेर

